MDNHM

AMD(NHM)
JS(NHM)

Dak No. 7736 Fi. Sec. 2017
Date 6.6.17

6-6-17

MOST IMMEDIATE

No. W.12017/06/2012-PNDT
Government of India
Ministry of Health & Family Welfare
(PNDT Section)
.....

Nirman Bhawan, New Delhi,
Date: 5th June, 2017

To,

Principal Secretary (Health & FW)
All States

Subject: Appointment of State Appellate Authority under the Pre-conception and Pre-natal Diagnostic Technique (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994.

Sir/Madam,

I am to inform that Govt. of India has made amendment to the PC & PNDT Rules, 1996 and inserted a new Rule 19 A, vide Gazette Notification No. S.O. 492(E) dated 23rd May, 2017 on the subject mentioned above. A copy of the said notification is enclosed.

2. It is requested that further action to appoint the State Appellate Authority in respect of the State concerned may be taken immediately by issuing a separate notification.

Encl: As above.

PD-PCPNDT

Yours faithfully,

(Ajay Kumar)
Under Secretary to the Government of India
Tel/Fax: 23061883

Medical & Health Services
No. 1641
Date 13/6/17
State PCPNDT Cell, Jaipur

MOST IMMEDIATE

No. W.12017/06/2012-PNDT
Government of India
Ministry of Health & Family Welfare
(PNDT Section)
.....

Nirman Bhawan, New Delhi,
Date: 5th June, 2017

To,

Principal Secretary (Health & FW)
All States

Subject: Appointment of State Appellate Authority under the Pre-conception and Pre-natal Diagnostic Technique (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994.

Sir/Madam,

I am to inform that Govt. of India has made amendment to the PC & PNDT Rules, 1996 and inserted a new Rule 19 A, vide Gazette Notification No. S.O. 492(E) dated 23rd May, 2017 on the subject mentioned above. A copy of the said notification is enclosed.

2. It is requested that further action to appoint the State Appellate Authority in respect of the State concerned may be taken immediately by issuing a separate notification.

Encl: As above.

Yours faithfully,

(Ajay Kumar)
Under Secretary to the Government of India
Tel/Fax: 23061883

कार्यालय सा.सं. सचिव
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
क्रमांक 532 दिनांक 14.6.17

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 394] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 23, 2017/ज्येष्ठ 2, 1939
No. 394] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 23, 2017/JYAISTHA 2, 1939

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मई, 2017

सा.का.नि. 492(अ).—केन्द्रीय सरकार गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीक (लिंग चयन निषेध) अधिनियम, 1994 (1994 का 57) की धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व नैदानिक तकनीक (लिंग चयन निषेध) नियम, 1996 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व नैदानिक तकनीक (लिंग चयन निषेध) संशोधन नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीक (लिंग चयन निषेध) नियम, 1996 में नियम 19 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत: स्थापित किये जायेंगे, अर्थात् :-

"19क. अधिनियम की धारा 21 के खण्ड (i) और (ii) के अधीन अपील फाइल करने और उसका निपटान करने की रीति:- (1) (क) केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केंद्रीय समुचित प्राधिकारी या संघ राज्य क्षेत्र प्रदेश के समुचित प्राधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील की सुनवाई के लिए प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक केंद्रीय (संघ) अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त करेगी।

(ख) केंद्रीय (संघ) अपीलीय प्राधिकारी कम से कम संघ राज्य क्षेत्र के समुचित प्राधिकारी के पद के स्तर का होगा।

(2) (क) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राज्य के समुचित प्राधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील करने के प्रयोजन के लिए एक राज्य अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त करेगी।

(ख) राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित राज्य अपीलीय प्राधिकारी प्रधान सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण या कम से कम राज्य समुचित प्राधिकारी के समकक्ष कोई अधिकारी होगा।

(3) (क) केंद्रीय समुचित प्राधिकारी या संघ क्षेत्र प्रदेश के समुचित प्राधिकारी द्वारा रजिस्ट्रीकरण के निलंबन या निरस्तीकरण के लिए पारित आदेश के विरूद्ध, केंद्रीय (संघ) अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील की जाएगी।

(ख) राज्य के समुचित प्राधिकारी द्वारा रजिस्ट्रीकरण के निलंबन या निरस्तीकरण के लिए पारित आदेश के विरूद्ध, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त राज्य अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील की जाएगी।

(4) केंद्रीय अपीलीय प्राधिकारी या राज्य अपीलीय प्राधिकारी के पास कोई अपील –

(क) प्रारूप-झ में विनिर्दिष्ट अपील ज्ञापन के प्रारूप में की जाएगी;

(ख) साथ में मामले के तथ्यों को स्पष्ट करते हुए प्रारूप-ञ में विनिर्दिष्ट शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाएगा; और

(ग) साथ में परिशिष्ट-क में यथा निर्दिष्ट अनुक्रमणिका, सारांश और दस्तावेजों की सूची संलग्न की जाएगी।

(5) केंद्रीय अपीलीय प्राधिकारी या राज्य अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष प्रत्येक अपील के समर्थन में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे, अर्थात् :-

(क) जिन आदेशों या दस्तावेजों के विरूद्ध अपील की जा रही है, उनकी स्वप्रमाणित प्रतियां;

(ख) अपीलार्थी जिन दस्तावेजों को विश्वसनीय समझे, उनकी प्रतियां;

(ग) अपील की अनुक्रमणिका; और

(घ) सारांश जिसमें घटनाओं का विवरण और दस्तावेजों की सूची हो।

(6) प्रत्येक अपील, जिस आदेश के विरूद्ध अपील की जानी है, उसकी प्राप्ति के तीस दिन की अवधि के भीतर फाइल की जाएगी :

परंतु केंद्रीय अपीलीय प्राधिकारी या राज्य अपीलीय प्राधिकारी, यदि उक्त अवधि के भीतर अपील फाइल न किए जाने का पर्याप्त कारण हो तो वह, तीस दिनों की अवधि के पश्चात् अपील फाइल करने की अनुज्ञा दे सकता है।

(7) केंद्रीय अपीलीय प्राधिकारी या राज्य अपीलीय प्राधिकारी प्रतिवादी को नोटिस जारी करेगा जो निम्नलिखित में से किसी रूप में दिया जाएगा, अर्थात् :-

(क) अपीलार्थी द्वारा तामील करेगा; या

(ख) परिदान (दस्ती) द्वारा; या

(ग) सम्यक पावती पत्र के साथ रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा; या

(घ) इलेक्ट्रॉनिक मेल या फैक्स द्वारा

(8) (क) केंद्रीय या राज्य अपीलीय प्राधिकारी अपील प्राप्त होने पर पक्षकारों की सुनवाई करेगा और अपील में उल्लिखित पते पर ई-मेल या कुरियर द्वारा सुनवाई की तारीख से सात दिन पहले सूचित करेगा

(ख) अपील की सुनवाई के समय अपीलार्थी स्वयं उपस्थित हो सकता है या सम्यक प्राधिकृत अपने विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से अपना पक्ष रख सकता है।

(ग) यदि अपीलार्थी विनिर्दिष्ट तारीख को केंद्रीय अपीलीय प्राधिकारी या राज्य अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होने में असफल रहता है, तो इस चूक के कारण अपील को खारिज किया जा सकता है।

(घ) केंद्रीय अपीलीय प्राधिकारी या राज्य अपीलीय प्राधिकारी, यदि पर्याप्त कारण बताया जाए, अपील की किसी भी अवस्था में पक्षकारों को या किसी एक पक्ष को समय दे सकता है और समय-समय पर अपील की सुनवाई स्थगित कर सकता है और ऐसा करने के कारणों को लिखित रूप में अभिलिखित किया जाएगा बशर्ते, अपील को तीन बार से अधिक स्थगित नहीं किया जाएगा।

(ङ) अपील का निपटान अपील फाइल होने के साठ दिन के भीतर किया जाएगा।

(9) केंद्रीय अपीलीय प्राधिकारी या राज्य अपीलीय प्राधिकारी अपील की प्राप्ति के साठ दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में आदेश पारित करके अपील पर निर्णय देगा, जिसे केंद्रीय अपील प्राधिकारी या राज्य अपीलीय प्राधिकारी के मुहर इस प्रयोजन हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा।

प्रारुप-झ

[नियम 19क (4) (क) देखें]

केंद्रीय अपीलीय प्राधिकरण अथवा राज्य अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष

अपील सं. – / 20-

निम्नलिखित के मामले में

अपीलकर्ता का नाम और पता

अपीलार्थी

बनाम

उस प्राधिकारी का नाम और

पता, जिसके आदेश को आक्षेप दी गई है। प्रतिवादी

मामला अति आदरपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है:

उपर्युक्त अपीलार्थी ने ------ -------- द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील की है, जो तारीख ---------- के-------- (वाद का ब्यौरा, यदि कोई हो)--------में अपीलार्थी के विरुद्ध-------- (स्थान का नाम तथा पता) में संबद्ध प्राधिकारी है तथा अपील किए गए आदेश पर आक्षेप के निम्नलिखित आधार बताए हैं:

1. जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई है इसकी विशिष्टियां तथा आदेश की संख्या, यदि कोई हो
2. वाद मामला का संक्षिप्त तथ्य
3. समुचित प्राधिकारी के निष्कर्ष
4. अपील का आधार
5. संलग्न आदेश की प्रति तथा वह सभी दस्तावेज, जिन पर अपीलार्थी विश्वास करता है।
6. अपील के समर्थन में अन्य कोई सूचना / दस्तावेज
7. प्रार्थनाकर्ता

कि अपीलार्थी उपर्युक्त वर्णित कारणों हेतु तथा सुनवाई के समक्ष किए जा सकने वाले तर्क-वितर्क, मंगवाए जाने वाले अभिलेख तथा कार्यवाहियों के आधार पर अनुरोध करता है कि इस अपील की स्वीकृति प्रदान की जाए और इस अपील के अंतर्गत आदेश को अभिखंडित और अपास्त किया जाए, तथा अपीलार्थी के पक्ष में न्यायपूर्ण तथा ठीक माने जाने वाले आदेश पारित करें।

स्थानः अपीलार्थी के हस्ताक्षर

तारीख:

सत्यापनः

मैं,-------------------- सत्यापित करता हूं कि पैरा सं.---------- से----------------------तक की अंतर्वस्तु मेरी जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा इसका कोई भी भाग मिथ्या नहीं है और इसमें कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य नहीं छिपाए गए हैं।

अपीलार्थी के हस्ताक्षर

प्रारुप-ञ

[नियम 19क (4) (ख)]

शपथ-पत्र का प्रारूप

केंद्रीय अपीलीय प्राधिकारी या राज्य अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष

निम्नलिखित के मामले में:

अपीलार्थी का नाम और पता

अपीलार्थी

बनाम

सम्बन्धित प्राधिकारी का नाम और पता

प्रतिवादी

शपथ – पत्र

मैं--------------------पुत्र-पुत्री--------------------------आयु------------------------------निवासी सत्यनिष्ठापूर्वक निम्नानुसार घोषणा करता हूं कि:

1. मैं अपील प्राधिकारी के समक्ष फाइल किए गए उपर्युक्त मामले में अपीलार्थी हूं और मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों से अवगत हूं, अतः इस शपथ-पत्र के द्वारा शपथ लेने में सक्षम हूं।
2. अपील के संलग्न ज्ञापन को मेरे निर्देशानुसार मेरे काउंसेल द्वारा तैयार किया गया है और मैंने इसे समझ लिया है, जिसे इस शपथ पत्र का अविभाज्य अंग माना जाए, तथा इसे संक्षिप्तता के कारण यहां दोहराया नहीं गया है।

अभिसाक्षी

सत्यापन:

--------------(माह और वर्ष) की ----------------तारीख को यह सत्यापित किया जाता है कि अपील की विषय-वस्तु मेरी जानकारी / अभिलेख / दस्तावेजों / मेरे काउंसेल की विधिक सलाह के आधार पर सत्य और सही है तथा इसमें कुछ भी सामग्री छिपाई नहीं गई है।

अभिसाक्षी

परिशिष्ट-क

[नियम 19क (4) (ग) देखें]

केंद्रीय अपीलीय प्राधिकरी अथवा राज्य अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष

निम्नलिखित के मामले में

अपीलार्थी का नाम

अपीलार्थी

बनाम

संबद्ध समुचित प्राधिकारी

प्रतिवादी

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विशिष्टियां	पृष्ठ संख्या

अपीलार्थी के हस्ताक्षर

सार

तारीख	घटनाओं की विशिष्टियां

अपीलार्थी के हस्ताक्षर

दस्तावेजों की सूची

क्र.सं.	विशिष्टियां	पृष्ठ

अपीलार्थी के हस्ताक्षर

(फा. सं. डब्ल्यू. 12017/06/2012-पीएनडीटी)

वन्दना गुरनानी, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: मूल नियमों को भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-2, खंड-3, उप-खंड (i) में सं.का .नि 1 (अ) तारीख 1 जनवरी, 1996 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात निम्नलिखित द्वारा संशोधित किया गया था:-

1. सा.का.नि. 109 (अ) तारीख 14 फरवरी, 2003;
2. सा.का.नि. 426 (अ), तारीख 31 मई, 2011;
3. सा.का.नि. 80 (अ), तारीख 7 फरवरी, 2012;
4. सा.का.नि. 418 (अ), तारीख 4 जून, 2012;
5. सा.का.नि. 13 (अ) और 14 (अ), तारीख 9 जनवरी, 2014,
6. सा.का.नि. 77 (अ) तारीख 31 जनवरी, 2014
7. सा.का.नि. सं. 119 (अ) तारीख 24 फरवरी, 2014 और
8. सा.का.नि. 60 (अ) तारीख 28 जनवरी, 2015

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd May, 2017

G.S.R. 492(E).—In exercise of the powers conferred by section 32 of the Pre-conception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 (57 of 1994), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Pre-conception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Rules, 1996, namely :—

1. (1) These rules may be called the Pre-conception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Amendment Rules, 2017.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Pre-conception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Rules, 1996, after rule 19, the following rule shall be inserted, namely:-

"19A. The manner for filing and disposal of the appeal under clause (i) and (ii) of section 21 of the Act.- (1)(a) The Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint a Central Appellate Authority for each of the Union territories, for the purpose of hearing appeal against the order of the Central Appropriate Authority or the Union territory Appropriate Authority.

(b) The Central Appellate Authority shall consist of an officer not below the rank of the Union territory Appropriate Authority.

(2) (a) The State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint a State Appellate Authority for the whole State, for the purpose of appeal against the order of State Appropriate Authority.

(b) The State Appellate Authority shall consist of the Principal Secretary, Health and Family Welfare or an officer not below the rank of the State Appropriate Authority as notified by the State Government.

(3) (a) An appeal against the order of suspension or cancellation of registration passed by the Central Appropriate Authority or the Union territory Appropriate Authority shall lie with the Central Appellate Authority.

(b) An appeal against the order of suspension or cancellation of registration passed by the State Appropriate Authority shall lie with the State Appellate Authority appointed by the State Government.

(4) An appeal to the Central Appellate Authority or the State Appellate Authority shall -

(a) be made in the form of a memorandum of appeal specified in Form I;

(b) be accompanied by an Affidavit explaining the facts of the case, specified in form J and

(c) contain an index, synopsis and list of documents as specified in Appendix -A .

(5) Every appeal before the Central Appellate Authority or the State Appellate Authority shall be supported by the following documents, namely:-

(a) self certified copies of orders or documents against which appeal is being preferred;

(b) copies of documents relied upon by the appellant;

(c) index to the appeal; and

(d) synopsis containing particulars of events and list of documents.

(6) Every appeal shall be filed within a period of thirty days of the date of receipt of the order against which the appeal is preferred:

Provided that the Central Appellate Authority or the State Appellate Authority may allow the appeal after the period of thirty days, if there is a sufficient cause for not filing the appeal within the said period.

(7) The Central Appellate Authority or the State Appellate Authority shall issue notice to the respondent, which shall be served in any of the following modes, namely:-

(a) service by the appellant; or

(b) by hand delivery (dasti); or

(c) by registered post with acknowledgement due; or

(d) by electronic mail or fax.

(8) (a) The Central or the State Appellate Authority shall hear the parties on receipt of the appeal and shall intimate the date of hearing which shall be seven days before the date of hearing, by email or courier at the address mentioned in the appeal.

(b) The appellant may present in person or through his duly authorised legal representative, at the time of hearing of the appeal.

(c) If the appellant fails to appear before the Central Appellate Authority or the State Appellate Authority on the specific date, the appeal may be dismissed for default:

(d) The Central Appellate Authority or the State Appellate Authority may, if sufficient cause is shown, at any stage of appeal, grant time to the parties or to any of them and may from time to time adjourn the hearing of the appeal for reasons to be recorded in writing.

Provided that more than three adjournments shall not be given to the appellant.

(e) The Appeal shall be disposed of within a period of sixty days from the date of filing of the appeal.

(9) The Central Appellate Authority or the State Appellate Authority shall dispose of the appeal by passing a speaking order in writing and issue under the seal of the Central Appellate Authority or the State Appellate Authority duly authenticated by the officer authorised by the Central Appellate Authority or the State Appellate Authority for this purpose within a period of sixty days from the date of receipt of the appeal.

FORM –I

[See rule 19A(4)(a)]

BEFORE THE CENTRAL APPELLATE AUTHORITY or THE STATE APPELLATE AUTHORITY

APPEAL NO.------/ 20---

IN THE MATTER OF:

NAME AND ADDRESS OF APPELLANT

APPELLANT

VERSUS

NAME AND ADDRESS OF THE AUTHORITY

WHOSE ORDER IS CHALLENGED

RESPONDENT

Most respectfully showeth:

The above mentioned appellant appeals against the order passed by the ----, concerned Appropriate Authority at -----------(Name of place and address) against the appellant in (details of the case if any) dated ---------- and sets forth the following grounds of objection of the order appealed :-

1. Particulars of the order including number of order, if any, against which the appeal is preferred
2. Brief facts of the case
3. Findings of the Appropriate Authority challenged
4. Grounds of appeal
5. Copy of the order enclosed along with all the documents relied upon by the Appellant
6. Any other information/documents in support of appeal
7. Prayer

That the appellant, therefore prays for the reasons stated above and as may be argued at the time of hearing, the records and proceedings be called for, this appeal be allowed, the order under the appeal be set aside and quashed, and order deemed just and proper may kindly be passed in favour of the appellant.

Place

Date

Signature of the Appellant

Verification:

I, ______________ do hereby verify that the contents of para ________ to ________ are true and correct to the best of my knowledge and belief and no part is false and nothing material has been concealed therein.

Signature of the Appellant

FORM – J

[See rule 19A(4)(b)]

PROFORMA AFFIDAVIT

BEFORE THE CENTRAL APPELLATE AUTHORITY or THE STATE APPELLATE AUTHORITY

In the matter of :

NAME OF THE APPELLANT

Appellant

Versus

CONCERNED APPROPRIATE AUTHORITY

Respondent

AFFIDAVIT

I ---------------------------S/o-D/o ----------------------------aged ------------- R/o ---------------------------do hereby solemnly declare as under :

1. That I am the Appellant in the captioned matter filed before the Appellate Authority and aware of all the facts and circumstances of the case, hence competent to swear this affidavit.
2. That the accompanying Memo of Appeal has been drafted by my counsel under my instruction and the same has been understood by me, the same may be read as the part and parcel of this affidavit, and the same has not been repeated here for the sake of brevity.

Deponent

Verification:

Verified on this day ________ of ________ (month and year) that the contents of the appeal are true and correct on the basis of my knowledge/ records/documents/legal advice received from the counsel and nothing material has been concealed therefrom.

Deponent

APPENDIX – A

[See Rule 19A(4)(c)]

BEFORE THE CENTRAL APPELLATE AUTHORITY or THE STATE APPELLATE AUTHORITY

In the matter of :

NAME OF THE APPELLANT

Appellant

Versus

CONCERNED APPROPRIATE AUTHORITY

Respondent

Index

S. No.	Particulars	Page No.

Signature of the Appellant

Synopsis

Date	Particulars of events

Signature of the Appellant

LIST OF DOCUMENTS

S. NO	PARTICULARS	PAGES

Signature of the Appellant

[F. No. W.12017/06/2012-PNDT]

VANDANA GURNANI, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R 1(E), dated the 1stJanuary, 1996 and subsequently amended vide:-

1. G.S.R 109 (E), dated the 14th February, 2003;
2. G.S.R 426 (E), dated the 31st May, 2011;
3. G.S.R 80 (E), dated the 7th February, 2012;
4. G.S.R 418 (E), dated the 4th June, 2012;
5. G.S.R. 13(E) & 14(E), dated 9th January 2014;
6. G.S.R. 77 (E) dated 31st January 2014;
7. G.S.R. No. 119(E) dated 24th February, 2014 and
8. G.S.R. No. 60 (E) dated 28thJanuary, 2015.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2017.05.24 22:59:15 +05'30'